

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(7)2022-23/विकास/प्रमुवसं/ 5381

दिनांक: 26.08.2022

कार्यालय आदेश

बजट मद 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, (10) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन) 30-उत्सव और प्रदर्शनियां के अन्तर्गत राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप वन संरक्षक, जोधपुर को वर्ष 2022-23 में राशि रु. 15.00 लाख का आवंटन किया जाता है। आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये -

1. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
2. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. वित्त (आय-व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(7)2022-23/विकास/प्रमुवसं/ 5382-87

दिनांक: 26.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

(अमर सिंह गोठवाल)

मुख्य वन संरक्षक,(आयोजना)
राजस्थान, जयपुर